



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179820

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8345 वर्ष 2026

राजेंद्र यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अखिलेन्द्र सिंह, ललता प्रसाद, प्रभात कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 09 सन् 2019, धारा 409, 467, 468, 471, 477ए, 120बी एवं 34 भा.दं.सं., थाना वाराणसी सेक्टर (ई.ओ.डब्ल्यू.),

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनपद वाराणसी में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) घटना के लगभग चौदह वर्ष बाद दर्ज की गई है। आवेदक, जो उचित दर दुकान का विक्रेता है, के विरुद्ध आरोप है कि उसने ई-पी.ओ.एस. मशीनों का उपयोग करके डाटाबेस में हेरफेर किया और खाद्यान्न का गबन किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2019 से जांच लंबित है और आज तक कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी स्थिति वाले सह-अभियुक्त अमर बहादुर यादव को इस न्यायालय द्वारा नाबाल संख्या 4806 सन् 2026 में दिनांक 16.06.2024 के आदेश द्वारा धारा 173(2) दं.प्र.सं. के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट दाखिल किए जाने तक अथवा अगली तिथि तक, जो भी पहले हो, अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का मामला समान स्थिति में है। बताया गया है कि आवेदक का तीन अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है और वह पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है।

4. विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि उन्होंने आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त के संबंध में उसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विवाद नहीं किया है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदक लगभग 68 वर्ष की आयु का वृद्ध व्यक्ति है। आवेदक ने अपने आपराधिक पूर्ववृत्त की व्याख्या की है और उसे पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं बताया गया है। लगभग नौ वर्ष बीत जाने के



बाद भी जांच अभी लंबित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं घटना के चौदह वर्ष से अधिक समय बाद दर्ज की गई है।

7. जैसा कि उपर्युक्त चर्चा की गई है, मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

9. आवेदक- **राजेन्द्र यादव**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, की गिरफ्तारी होने की स्थिति में, उसे संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

(iv) आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे धमकाएगा नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

25 अगस्त, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)